भारत बीस रुपये TWENTY पाँच रुपये पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

126

निगरानी याचिका कमांक ..../2018

प्रस्तुति दिनांक ..../2018

~~कलेक्टर~~ अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल जिला ग्वालियर

श्रीमान ~~अध्यक्ष~~ महोदय ~~राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प~~ इंदौर के

कैम्प

निगरानी-5738/2018/इंदौर/भू.रा.

समक्ष

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक .... को प्रस्तुत।

840
09-08-2018

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. खालिक पिता अब्दुल गनी
   आयु 40 वर्ष धंधा मजदूरी
   निवासी बंडाबस्ती महू
   जिला इंदौर
2. अब्दुल अजीज पिता अब्दुल गनी
   आयु 55 वर्ष धंधा कृषि
   जिला सदर
3. मेहमूद खान पिता रहमान
   आयु 45 वर्ष धंधा नौकरी
   निवासी सदर

..........आवेदक / प्रार्थी

विरूद्ध

1. मुनीर खान पिता रहमान खान
   उम्र 40 वर्ष धंधा टेलरिंग
   निवासी बंडा बस्ती महू
   तहसील महू जिला इंदौर

2. भुरीबाई पिता मोहम्मद खान
   उम्र 70 वर्ष धंधा गृहकार्य
   निवासी बंडाबस्ती महू
   जिला इंदौर

.......अनावेदक / प्रत्यर्थी

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :–

आवेदक/प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर महू के प्रकरण कमांक 18अ/17–18 में पारित आदेश दिनांक निरंक से असंतुष्ट एवं दु:खी होकर प्रार्थी/आवेदक द्वारा यह निगरानी याचिका निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते है :–

(2)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5738 /2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9-18	आवेदक की ओर से श्री बी0के0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डॉ0अम्बेडकर नगर महू के प्रकरण क्रमांक 18/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक निरंक की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के मध्य स्वत्व संबंधी विवाद होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित करने के पूर्व उभयपक्ष को म0प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत स्वत्व के निराकरण के लिये तीन माह का अवसर दिया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	